महिला जन अधिकार समिति, अजमेर

वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष : 2018-2019

आमुख

महिला जन अधिकार समिति की कार्यकारिणी सभा और कार्यकारी टीम की ओर से यह वार्षिक रिपोर्ट 2018–2019 पेश करते हुए मुझे बेहद खुशी है। समिति कार्यकारिणी की ओर से मै समिति से जुडी पूरी टीम को बधाई देती हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम करके संस्था के प्रोजेक्ट्स को पूरी मेहनत के साथ कार्यक्षेत्र में संचालित किया। जैसे कि नाम से जाहिर है – संस्था में यह पूरा साल बहुत ही चहल–पहल भरा रहा। हमने अपने कार्यक्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग किये–जो प्रोजेक्ट्स से भी आगे बढकर थे। जिसमें हमें राष्ट्रीय स्तर के कई जाने माने रिसोर्स संस्थाओं का सहयोग मिला। संस्था टीम को अपने स्किल, अपनी क्षमताओं को बढाने का अवसर मिला तो नजरिया विकसित करने के मौके भी मिले। हमने अपने कार्यक्षेत्र में बच्चों, किशोर–किशोरियों, युवाओं के साथ कई तरह अवसर बनाए ताकि उनसे जुडे विषयों पर संवाद हो, एक्शन हो और स्थितियों में बदलाव आये। गांवों की समस्याओं को समझने और संबोधित करने के लिए विलेज मेपिंग, सर्वे, साक्षात्कार और समूह चर्चाएँ हुई और उनसे प्राप्त डेटा यानि परिणामों को पुन लोगों के बीच सॉझा किया गया। बाल विवाह, बाल यौन शोषण पर अभियान के जरिये विभिन्न आयु समूहों तथा जिम्मेदार विभाग – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायत के साथ संवाद व नेटवर्किंग बन पाया।

समिति ने यह निर्णय लिया था कि संस्थागत कार्यों में युवा लीडरशीप को बढावा देंगे और उन्हे ऐसे पोषित किया जाए कि वे संस्था में प्रमुख जिम्मेदारियां निभा सकें और आगे निर्णयात्मक भूमिकाएं भी ले पायें। इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है,लगभग आधा स्टाफ नया और युवा है।

हमारी टीम के सदस्यों को बाहर जाकर अन्य संस्थाओं,सेमीनार,वर्कशॉप,प्रशिक्षणों में जाकर सीखने और अपने अनुभवों को बांटने का मौका भी मिला तो हमने औरों को अपने यहॉं होस्ट भी किया।

मैं आभारी हूँ सभी मित्र संस्थाओं –हक : सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY); राही फाउण्डेशन, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन, और व्यक्तियों एनाक्षी गांगुली ठुकराल,, अनुजा गुप्ता, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के साथ अपने संदर्भ सामग्री और ट्रेनिंग मॉड्यूल को हमारे साथ खुले दिल से बांटा, हमारी संस्था के काम में विश्वास जताया और हमें समृद्व किया। युवा साथी रोहित जैन, जिन्होंने गांवों में घूमकर किशोर–युवा लडके लडकियों से दोस्ती बनाई और अपने स्किल शेयर किये।

हम दानदाता एजेंसी का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके सहयोग के बिना यह सब करना संभव नही था।

मैं उन सभी गांवों और शहरी बस्ती के नागरिकों, युवा और बच्चों को खासतौर पर सेल्यूट करना चाहूंगी जिनकी वजह से हमें ऊर्जा, जोश और नई द्वष्टि लगातार मिलती रही।

साथियों, यह बदलाव का सफर अभी जारी है। बिना थके, बिना रूके अभी कई मीलों आगे जाना है।

अपने समाज में बदलाव के लिए "मशालें लेकर चलना कि अब तक रात बाकी है" इस सतत यात्रा के सभी सहयात्रियों को अभिवादन!!

एकजुटता के साथ,

इंदिरा पंचोली

1. सामाजिक बदलाव में सामुदायिक मॉबिलाइजेशन : संगठनात्मक गतिविधियां, समुदाय में पहुंच और पैठ बढाना

महिला जन अधिकार समिति अपने शुरूआती दौर से महिलाओं, बच्चों, किशोर–किशोरी और युवा सशक्तिकरण तथा विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने व लागू करने के लिए प्रयासरत रही है। इस प्रयास में महिलाओं तथा उपेक्षित समुदायों के बीच सूचना, जानकारी का प्रसार करना तथा स्थानीय महत्व के मुददों पर पहलकदमी लेने मे संस्था ने उत्प्रेरक तथा फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई है। सभी कमजोर एवं उपेक्षित समुदायों में महिलाओं व युवाओं के नेतृत्व को उभारने और विकास की मुख्यधारा में जोडने की दिशा में कार्य करना समिति का मुख्य ध्येय रहा है। सामाजिक बदलाव में सामुदायिक जागरूकता, मोबिलॉइजेशन को गति देने के लिए समुदाय के विभिन्न आयु समूहों : बच्चों, लड़के, लड़कियों, युवा–युवतियों के समूहों तथा जागरूक नागरिक कमेटियों के साथ मिलकर काम किया जाता है। :

बच्चों की आयुवार सारणी

आयु समूह	लड़की	लड़का	कुल बच्चे
6.–10	859	861	1720
11–14	961	947	1908
15–18	670	824	1494
कुल बच्चे	2490	2632	5122

6 से 18 आयु समूह के 5122 बच्चों के साथ काम किया जा रहा है। जिसमें 2490 लड़कियां और 2632 लड़के शामिल है।

तीनों आयु वर्ग के बच्चों, लड़के, लड़कियों के साथ की चलाई गई गतिविधियां / प्रक्रियाएं :

- बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल, सहभागिता, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा नेगोशिएशन व क्षमता विकास के लिए बाल व किशोर किशोरी समूहों को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जुड़ाव करने की गतिविधियां की गई। बाल अधिकार, जेण्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य–पोषण, नागरिक अधिकार जैसे विषयों पर बैठकें, प्रतियोगिताएं, खेलकूद, एक्सपोजर विजिट,इंटरफेस, अभियान, रैली का आयोजन किया गया।

बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों, ठहराव, नियमितता व शिक्षा पूरी होने तक के लिए किये गये कार्य

- शिक्षा से वंचित 65 बच्चों और ड्रॅापआउट 64 बच्चों को शिक्षा से जोडा गया।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 12 लडकियों कौ प्रवेश दिलवाये गए जिससे उनकी पढाई जारी रह पाई तथा गौना और बाल विवाह को रोक पाये।
- अम्बेडकर छात्रावास में शिक्षा से ड्रॅापआउट 7 लडको प्रवेश दिलवाकर स्थानीय सरकारी विद्यालय से जोडा गया।
- 6 –18 साल के स्कूल जाने वाले 4105 बच्चों (2060 लड़के, 2045 लड़कियां) की ट्रैंकिग कर नामांकन व ठहराव को बनाकर रखा गया। ट्रॉजिक्शन ट्रेकिंग की गई। इसे करने के लिए 4200 होम विजिट किये गये।

प्रभाव

- किशोर लड़के लड़कियों की सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श पर समझ बनी।
- माता–पिता मुद्दें की गम्भीरता को समझे। उन्होंने माना कि है कि इस मुद्दें पर बच्चों से बात करना जरूरी है।
- चाचियावास की 12 साल की बालिका ने बैठके के बाद उसके साथ सालभर पहले मामा द्वारा हुए बाल यौन शोषण की बात साझा की।
- खरेखडी में लडकियों ने माना कि लडकों के साथ भी लैंगिक छेडछाड होती है जो बुजुर्ग महिलाएं लाडप्यार के नाम पर करती है।
- लडकियां इस विषय पर खुलकर बात करने लगी है।
- हासियावास की महिलाओं ने बचपन में हुए शोषण का साझा किया और इस विषय पर लडकों की समझ बनाने की बात की।

बाल विवाह, सगाई, गौने में देरी के लिए लगातार चर्चाएं, बातचीत करना, मां–बेटी संवाद आयोजन

लडकियों की अभिव्यक्ति को जगह देने और उनके सपनों, आकांक्षाओं, डर और चिंताओं पर बात करने के उद्देश्य से उनकी मांओं के साथ बातचीत करवाने की शुरूआत की गई तथा लगातार सम्पर्क व फोलोअप के जरिये लडकियों के व्यवहार में आ रहे बदलाव और मुद्दें पर उनकी समझ को ऑब्जर्व किया गया। 8 गांव में किशोर लड़कियों और मांओं के बीच बातचीत, चर्चाएं, इंटरफेस करवाया गया। जिसमें 105 माताएं और 84 किशोरी लड़कियां शामिल हुई।

प्रभाव :

मांओं और लडकियों के बीच बातचीत का मंच बना जिसमें लडकियों की शिक्षा, गौना और बाल विवाह में देरी करना, घर के काम का बंटवारे परीक्षा के समय पढ़ने का पूरा समय देने, गांव से बाहर जाकर पढने के अवसर देने खेलने का समय देने पर बातें हो पाई। मांओं ने लडकियों की बातों को सुना और लड़कियों को भी पूरे अवसर देने की जिम्मेदारी ली।

सामुदायिक पहल :

उद्देश्य –समुदाय के साथ मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षा का माहौल बनाना और उनके विकास के लिए सभी उपलब्ध अवसरों को पूरी तरह से इस्तेमाल/लाभ दिलाने के प्रयास करना। समुदाय को सक्षम करना की वे अपने पिछड़ेपन से उभरकर मुख्यधारा में आए एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो पाए।
19 गांव में जेएनएस के साथ साल भर में 33 बैठके की गई। 495 सदस्यों की भागीदारी रही। इसके अलावा जेएनएस सदस्यों से साल भर में 172 बार अनौपचारिक और व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क रख बच्चों और गांव के मुददों पर बातचीत की गई। कमेटी सदस्यों ने स्कूल में पीने के पानी की सफाई, मिडे मील की मॉनीटरिंग, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, श्रमिक कार्ड बनवाना, नरेगा कार्य आरम्भ जैसे समस्याओं को पंचायत स्तर पर उठा कर समाधान करवाया।

2. सामाजिक बदलाव के लिए नेतृत्व विकास, क्षमता और कौशल निर्माण

बाल विवाह के विरूद्व अभियान किशोर–युवाओं के नेतृत्व में : बाल विवाह नही नही मेरी मर्जी के बिना कभी नही अभियान 12 से 18 अप्रैल 18 तक कार्यक्षेत्र के सभी 19 गांवों ,ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चलाया गया। युवाओं किशोर–किशारी, बाल समूह के सदस्यों ने प्रमुख भूमिका ली और अभियान को सफल बनाया। केकडी ब्लॉक उपखण्ड अधिकारी , ताल्लुका विधिक के जज श्री मुकेश आर्य द्वारा तथा श्रीनगर ब्लॉक में जिला विधिक सेवा प्रधिकरण अजमेर के पूर्णकालिक सचिव श्री राकेश गोरा द्वारा अभियान का उद्घाटन किया गया।

नाटक,पपेट,फिल्म शो, रैली,संवाद,प्रचार प्रसार सामग्री के जरिये बाल विवाह रोकथाम व जागरूकता के लिए संदेश दिया गया और लगभग 4750 पुरूष, महिलाओं व बच्चों, सेंवाप्रदाओं तक साथ पहुंच बनाई गई।

अभियान कार्यक्रम :

क्र.सं.	ब्लॉक	मोबाइल वेन	पोस्टर चस्पा करना	पपेट शो,रैली	नाटक	हस्ताक्षर अभियान	फिल्म शो	अभियान के दौरान समुदाय पहुंच	जेण्डर गेम
1	श्रीनगर	15 गांव	15 गांव	15	8	300	8	2500	5
2	केकडी	20 गांव	20	20	10	400	8	2250	10
कुल		35	35	35	18	700	16	4750	15

संस्था टीम का क्षमतावर्धन : संस्था टीम के कौशल विकास, स्वविकास, नजरिये को विकसित करने व नेतृत्व कौशल के लिए लगातार क्षमतावर्धन कार्यक्रम किये जाते है और नेटवर्कस् व संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की जाती है। **इस साल क क्षमतावर्द्वन कार्यक्रमों पर एक द्वष्टि :**

लडकियों के क्षमतावर्धन व नजरिया विकसित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना

- बालयौन उत्पीडन पर समझ बनाना : 13 गांव में किशोर लड़के, लडकियों और महिलाओं के साथ सत्र लिये गये जिसमें 433 किशोर लडके, लडकियों, महिलाओं तक पहुंच बनाई गई।
- आत्मरक्षा प्रशिक्षण – 2 कार्यशालाएं. 35 प्रतिभागी
- जेण्डर कार्यशालाएं : 3 47 प्रतिभागी
- कानून व अधिकारों की जानकारियां : 4 सत्र व 47 प्रतिभागी

महिलाओं, युवा और बाल नेतृत्व को बढावा देना और लड़कियों के लिए शिक्षा और अवसरों का विस्तार : नई पहल नये कार्यक्रम

लड़कियों की आज़ादी, एकजुटता और सशक्तिकरण के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला जन अधिकार समिति, अजमेर और हकः सेण्टर फॉर चाइल्ड राइट्स के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर जिले के ग्रामीण, अवसर विहीन किशोरियों और नवयुवतियों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अजमेर जिले के 4 गांवों की 300 किशोरियां शामिल है। इनमें से 167 लडकियां प्रतिदिन गांव में प्रशिक्षित कोच के मार्गदर्शन में फुटबॉल खेलती हैं।

फुटबाल खिलाडी लड़कियों का उम्रवार विवरण :

गांव का नाम	कुल फुटबॉल खिलाडी	अन्डर –12	अन्डर –14	अन्डर–16
हासियावास	28	13	11	4
चाचियावास	26	20	6	0
मीणों का नया गांव	45	19	15	11
सांकरियां	55	18	20	17
कुल	114	70	52	32

167 लडकियां प्रतिदिन मैदान पर खेलती है। इनमें 12 साल के आयु समूह में 70 लड़कियां, 14 साल के आयु समूह में 52 लड़कियां तथा 16 साल के आयु में 32 लड़कियां है। इनमें 3 लड़कियां ड्रॉपआउट है तथा 25 बाल विवाहित है।

प्रभाव :

- फुटबॉल खेलने वाली 4 लड़कियों ने दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है तथा फुटबाल खेलने वाली अन्य सभी लडकियां भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई हैं।
- हासियावास गांव में लडकियों ने मिलकर गंगोज पर होने वाले भोज कार्यक्रम में जाने से इन्कार किया। लडकियों के साथ जीवन कौशल, जेण्डर और अधिकार, कानूनी और संवैधानिक अधिकार, कम्युनिकेशन स्किल, आत्मरक्षा आदि प्रशिक्षण से उनकी जानकारी का स्तर बढ़ रहा है।

डिजिटल किशोरी बने सक्षम कम्प्यूटर : टेक सेण्टर

महिला जन अधिकार समिति, अजमेर द्वारा यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के अंर्तगत टेक सेन्टर संचालित किया जा रहा हे। इसके लिए फैट टीम के अनुभवों से निकली सीखों और मॉडल को अपनाया गया हैं। किशोरियों के साथ काम करने में मूल समझ यही रही है कि लडकियों की जिन्दगी

और विकास में जेन्डर और यौनिकता के सवाल अहम रहें हैं। इस कार्यकम में उन्हें हर पहलू में संबोधित किया गया हैं।

अजमेर टेक सेण्टर :

अजमेर की कच्ची बस्ती और गांवों की किशोरियों के साथ कम्प्यूटर तकनीक एवं शिक्षा की शुरूआत मई 2016 में की गई थी। पहले बैच की 22 ट्रेनिंज को Course Completion सर्टिफिकेट दिये गये हैं। दूसरे बैच के लिए 60 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। जिनमें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार से 26 को एडमिशन दिया गया था। उनका कोर्स भी मई 2018 में पूर्ण हो गया है। दोनो बैच में से 10 लड़कियां जॉब में चली गई हैं। 5 जुलाई 2018 तीसरा बैच आरम्भ किया गया है जिसमें 23 लडकियां है।

केकडी टेक सेण्टर

अजमेर टेक सेण्टर में लड़कियों की बढ़ती क्षमताओं और अच्छे परिणामों को देखते हुए केकड़ी में जनवरी 2018 से सेण्टर शुरू कर दिया गया है और 32 लड़कियों ने एडमिशन लिया है।

टेक सेण्टर की गतिविधियां :

1. कम्प्यूटर शिक्षा : नारीवादी सोच के साथ कम्प्यूटर कोर्स, पेन्ट,नौटपेड,माइक्रोसॉफ्ट आफिसः– वर्ड,एक्सेल,पीपीटी,इंटरनेट,जीमेल,ईमेल,सोशल मीडिया,डेस्कटॉप आदि सीखाया गया।

2. सेण्टर पर आने आने वाली लड़कियों के लिए हर शनिवार नजरिया, सोच बदलने के लिए जेण्डर, पितृसत्ता, हाशियाकरण, आत्मरक्षा, बालयौन शोषण पर कार्यशालाएं तथा महिला हिंसा, महावारी ,स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य, **प्रोजेक्ट** बनवाये।

3. शैक्षणिक भ्रमण :सेण्टर से जुड़ी लड़कियों को अजमेर से बाहर की गतिविधियों– किशोरी मेला, जयपुर, किशोरी खेल उत्सव, केकडी, अजयसर, दूरदर्शन कार्यक्रम दिल्ली में जोड़ा गया। इन लर्निग इवेंट से लड़कियों का आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति बढ़ी है।

4. बैठके एवं जागरूकता : लड़कियों को अवसर मिले इस उद्‌देश्य से सेण्टर की लड़कियों के मौहल्ले,बस्तियों में बैठकें, होम विजिट, पोस्टर, पेम्पलेट जरिये चर्चा और बातचीत का माहौल बनाया गया।

प्रभाव :

- 15 लडकियो की नुक्कड नाटक की टीम बनी जिसमें लडकियों ने अजमेर के बजरंग चौराहा जो भीड से खचखच भरा रहता है पर जेण्डर भेदभाव एवं बाल विवाह पर नाटक प्रस्तुत किया। जिसे लगभग 200 व्यक्तियों ने देखा और सराहा।
- 5 लड़कियों को कम्प्यूटर पर जॉब मिला।

सभी महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण

आउटकम	कवरेज एरिया
1. माता और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल और बच्चे की उचित देखभाल के लिए समुदाय और परिवार में जागरूकता लाना 2. बच्चें और मातृ स्वास्थ्य के मुददें पर स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी व बढोतरी 3. सभी बच्चों की प्रारंभिक बचपन (बाल्यावस्था)की देखभाल को सुनिशिचित करना जिसमें वे पर्याप्त देखभाल, पोषण और सुरक्षा प्राप्त करें। 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र गुणवतायुक्त सेवाएं समुदाय को प्रदान करे।	• जिला अजमेर • ब्लॉक : श्रीनगर व केकडी • गांव : 15 • ग्राम पंचायत : 12

गतिविधियां

- टीम क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण, आमुखीकरण कार्यक्रम : 3 प्रशिक्षण
- 456 किशोरियों को स्वास्थ्य अधिकार के प्रति जानकरी देना व जागरूक करना तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जोडा गया।
- 86 अति व 105 मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान की गई रेफरल सेवाओं से जोडा, ग्रोथ मॉनीटरिग की गई, सामुदायिक प्रबंधन एवं कुपोषण के कारणों पर समुदाय के साथ चर्चाएं व ।

बच्चों की टीकाकरण सारणी

विवरण	बालक	बालिका	dqy
कुल बच्चें	101	90	191
बीसीजी	52	64	116
पेंटा–1	47	59	106
पेंटा	43	50	93
पेंटा–3	30	32	62
खसरा/मिजिलस	14	18	32

गर्भवती महिलाएं : टीकाकरण सारणी

विवरण	संख्यात्मक आंकडे
कुल गर्भवती	140
आंगनबाडी में पंजीकृत	129
टीटी–1	84
टीटी–2	61
बूस्टर	40

प्रमुख उपलब्धियां :

- 0–1 साल के बच्चों का टीकाकरण 40 प्रतिशत से बढकर 74 प्रतिशत हुआ।
- मां का पहला गाढा दूध पिलाना 15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हुआ।
- गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण 35 प्रतिशत से बढकर 69 प्रतिशत हुआ।
- गर्भवती महिलाओं की एएनएसी जांचे 23 प्रतिशत से बढकर 45 प्रतिशत हुई।
- धात्री महिलाओं की पीएनसी जांचे 32 प्रतिशत से बढकर 65 प्रतिशत हुई।
- संस्थागत प्रसव 62 प्रतिशत से बढकर 94 प्रतिशत हुआ।

3. शासन प्रणाली (सरकार) के साथ काम : नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता

सबको शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले मुख्यरूप से लडकियों को, शिक्षा से जुड़ी समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो तथा बच्चों को मैत्रीपूर्ण, सहज, सरल, सुरक्षित माहौल मिले जहां वो जानकार, जागरूक, सचेत और जिज्ञासु बने। इसी सोच समझ से शासन प्रणाली के साथ काम और नेटवर्किंग की जा रही है।

चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 का संचालन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आर्थिक संसाधनों व चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन, मुम्बई के मार्गदर्शन में संचालित है। महिला जन अधिकार समिति अजमेर में चाइल्डलाइन की सबसेण्टर संस्था है जो अजमेर जिले के तीन ब्लॉक – केकडी, भिनाय सरवाड में बाल संरक्षण पर काम कर रही है।

केस हस्तक्षेप :

इस साल में बच्चों के 95 मामले चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 के जरिये दर्ज हुए जिन पर हस्तक्षेप कर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया गया

विभिन्न श्रेणी के मामले	दर्ज मामले
मेडिकल हेल्प	13
मिसिंग	1
शेल्टर	3
प्रोटेक्शन फरोम अब्यूज	23
इमोशनल सपोर्ट एण्ड गाईडेन्स	6
रिस्टोरेशन	5
स्पोन्सरशिप	1
अदर इण्टरवेशन – योजनाओं से जुडाव, आरटीई वॉयलेशन के मामले	30
गुमशुदा बच्चों का पता ठिकाना मालूम करना व रिस्टोरेशन में मदद करना	5
चाइल्ड लेबर	8
कुल मामले	95

आउटरीच कार्यक्रम :

चाइल्ड लाइन परियोजना में 1098 की जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए कुल **102** आउटरीच की गई। जिसमें 82 स्मॉल ग्रुप तथा 20 ग्रुप आउटरीच की गई।

ओपन हाउस : आउटरीच में पहचाने गये मुद्दों पर दो गांव में ओपन हाउस का आयोजन किया गया ,जिसमें 205 बच्चों ने भाग लिया।

जिला स्तरीय नेटवर्किंग :

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पालनहार योजना के योग्य 174 बच्चों की सूची बनाई गई। 88 बच्चों योजना से जोडा गया है।

2. लीगल सर्विस ऑथोरिटी (विधिक सेवा प्राधिकरण)

जिला व ब्लॉक स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ नेटवर्क है, जिले स्तर पर होने वाली बैठको में संस्था प्रतिनिधि भाग लेते है। बाल यौन उत्पीडन के मामले में बालिका को पीडित प्रतिकार स्कीम से 3 लाख रूपये का मुआवजा दिलवाने के लिए पैरवी कर मुआवजा दिलवाया गया।.

4. .सूचनाओं और ज्ञान का संवर्धन : डॉक्युमेंटेशन, अध्ययन, प्रकाशन, प्रचार–प्रसार सामग्री का संकलन और निर्माण : इस वर्ष में निम्न सामग्री का निर्माण किया गया है :

- बाल विवाह जागरूकता के लिए पोस्टर, होर्डिंग निर्माण
- भाईचारा, बंधुत्व, मानवीयता, बराबरी के लिए नारे और बैनरर्स का निर्माण

- बाल पत्रिका आमली का प्रकाशन
- बाल विवाह पर आई विल प्रिवेलेज शार्ट मूवी
- राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए संचालित 150 योजनाओं को संकलन किया गया।
- स्वास्थ्य एवं पोषण तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन पर सांप सीढ़ी का निर्माण
- कम्प्यूटर टेक सेण्टर संचालन के लिए मॉडयूल निमार्ण
- वेनलिडों – आत्मरक्षा प्रशिक्षण –5